

प्रपत्र

(वेयर हाउसड गुड्स (रिमूवल) विनियमावली, 2016 का विनियम 3 देखें)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 67 और 69 की शर्तों के अनुसार वेयर हाउस से वस्तुओं को अंतरित करने का प्रपत्र

भाग-1

:आयात का ब्यौरा	वेयर हाउसिंग का ब्यौरा		वस्तुएं					हटाने का प्रयोजन	
	बिल ऑफ एंट्री की संख्या और तारीख	वेयर हाउस कूट और पता	बॉड संख्या और तारीख	वस्तुओं का विवरण	विवरण और पैकेजों की संख्या	पैकेजों पर अंकित चिन्ह और संख्या	भार और मात्रा	मूल्य	अन्य वेयर हाउस में जमा (वेयर हाउस का कूट और पता बताएं)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

वेयर हाउस में रखी गई वस्तुओं के मालिक के हस्ताक्षर

पूरा नाम :

दूरभाष संख्या :

बॉड अधिकारी की अनुमति

(हस्ताक्षर और मोहर)

भाग-2

वस्तुओं के प्रेषण का ब्यौरा				वस्तुओं की प्राप्ति का ब्यौरा			अभ्युक्तियां
हटाए जाने की तारीख और समय	परिवहन के साधन की पंजीकरण संख्या और ब्यौरा	कंटेनर संख्या यदि कोई हो ।	एक बारगी लाक संख्या	वेयर हाउस अथवा कस्टम स्टेशन पर प्राप्ति की तारीख और समय	क्या परिवहन के साधन की पंजीकरण संख्या प्रेषण के साथ मेल खा रही है ।	क्या एक बारगी लाक को बरकरार पाया गया है ।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

लाइसेंसी (वेयर हाउस कीपर) /
 बॉड अधिकारी के हस्ताक्षर
 एवं मोहर (प्रेषण स्थल पर)

लाइसेंसी (वेयर हाउस कीपर)/बॉड अधिकारी/
 समुचित अधिकारी के हस्ताक्षर
 एवं मोहर (प्राप्ति स्थल पर)